

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)


देशराज वगै०

बनाम

अंजली आदि

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मु०नं० 259 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/476

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-06-2025	<p>रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की ओर से श्री मनीराम जाखड़ एड. उपस्थित। वकील प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 रा.का.अधि. दर्ज रजिस्टर किया जावे। वकिल प्रार्थीगण ने अनुरोध किया कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थीगण के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 567/1141 रकबा 1.25 है० राजस्व ग्राम राणासर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना का राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखें।</p> <p>उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रक्रिया की पालना में लागू नही होगी।</p> <p>प्रार्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.07.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (राजवीर सिंह) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)</p>	

18/7/25

पत्रावली पेश हुई। एकलाप संप्रसार  
P.O साहब दीगर कर्म में स्थ है  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/01/25  
को पेश की।

7/10/25

पत्रावली पेश हुई। एकलाप संप्रसार  
P.O साहब दीगर कर्म में स्थ है  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/11/25  
को पेश की।

द्वारा (3)

ओम् प्रसाद

07/11/2025

वकील शर्माजीण द्वारा जांच पत्र बिना कले  
हेतु जांच पत्र मिथिल तलवी पेश कले पर  
पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तक  
की गई। वकील शर्माजीण ने जांच पत्र पेश कर  
निवेदन किया कि शर्माजीण अपने निजी स्वयं  
पारिवारिक कारण वर प्रकटा को हार्गे नही  
बेलाना चाहते हैं। अतः प्रकटा बिना फलाने  
की कृपा करें। वकील शर्माजीण का जांच  
पत्र काबत बिना किये जाने परमता फा  
न्यायहित में स्वीकार कर कार्यवाही प्रकटा  
क्षी हल पर प्रचल किया जाता है। पत्रावली  
प्रेसल शुमार ठेकल नम्बर से कम हो तब बाह  
तकनील दाखिल इफ्तल हो, निर्णय छुले न्यायालय  
में पुनाया गया।

राजवंर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)